

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

No. BSEH/SEC/2023

Circular No.:004

Dated : 20-02-2023

डी0एल0एड0 रि-अपीयर परीक्षा फरवरी-2023

डी0एल0एड0 प्रवेश वर्ष-2016-18, 2017-19, 2018-20, 2019-21, 2020-22 व 2021-23 प्रथम व द्वितीय वर्ष (रि-अपीयर/विशेष अवसर) परीक्षा फरवरी-2023 दिनांक 27.02.2023 से आरंभ हो रही है। पात्र छात्र-अध्यापकों के प्रवेश-पत्र (Admit card) संस्था की लॉग-ईन आई0डी0 पर दिनांक 20.02.2023 से उपलब्ध होंगे। सभी छात्र-अध्यापक प्रवेश-पत्र बारे अपनी संस्था से सम्पर्क करें। छात्र-अध्यापक प्रवेश-पत्र पर दर्शाए गए महत्वपूर्ण निर्देशों को ध्यान से पढ़कर/समझकर उनकी पालना करना सुनिश्चित करें।

डी0एल0एड0 शिक्षण संस्थान/कॉलेज के प्राचार्य/मुखिया इस बात के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे कि ऐसे सभी छात्र-अध्यापक जो निर्धारित नियम/विनियम अनुसार परीक्षा हेतु योग्य/पात्र नहीं है, उनके अनुक्रमांक जारी न किए जाए। ऐसे परीक्षार्थियों के अनुक्रमांक शिक्षण संस्थान/कॉलेज के मुखिया द्वारा रिपोर्ट सहित बोर्ड कार्यालय को परीक्षा शुरू होने से पूर्व वापिस भेजे जाने है।

डी0एल0एड0 (रि-अपीयर/विशेष अवसर) परीक्षा फरवरी-2023 से सम्बन्धित बाह्य प्रायोगिक परीक्षाएं सम्बन्धित DIET व आंतरिक प्रायोगिक परीक्षाएं सम्बन्धित शिक्षण संस्थानों में संचालित करवाई जाएंगी। अतः सभी शिक्षण संस्थाएं उक्त छात्र-अध्यापकों के आंतरिक एवं बाह्य प्रायोगिक मूल्यांकन व SIP के अंक ऑनलाईन भरने हेतु दिनांक 27.03.2023 से 31.03.2023 तक बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट (www.bseh.org.in) पर visit करें। अंतिम तिथि उपरांत आंतरिक प्रायोगिक मूल्यांकन की अंक सूचियां 500/-रूपये प्रति छात्र-अध्यापक या अधिकतम 5000/- रूपये प्रति शिक्षण संस्थान जुर्माने सहित ही स्वीकार की जाएंगी। यदि किसी शिक्षण संस्थान को निर्धारित अवधि में आंतरिक एवं बाह्य प्रायोगिक मूल्यांकन व SIP के अंक भरने में तकनीकी कारणों से कठिनाई आती है तो इसके निवारण हेतु ई-मेल online2021@gmail.com एवं dledexam2017@gmail.com व दूरभाष नम्बर 01664-254300, पर सम्पर्क कर सकते है।

ऐसे परीक्षार्थी जो Visually impaired, Dyslexic and Spastic, Deaf & Dumb, Permanently Disabled for writing with their own hands श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा चिकित्सा प्रमाण-पत्र में परीक्षार्थी की अशक्तता 40% या इससे अधिक प्रमाणित की गई है, तो कॉलेज/शिक्षण संस्थान के प्राचार्य/प्रतिनिधि द्वारा उपरोक्त श्रेणियों के दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए लेखक के मूल एवं सत्यापित दस्तावेज/प्रलेख जैसे शैक्षणिक योग्यता, जन्म प्रमाण-पत्र, दो नवीनतम रंगीन फोटो (एक सत्यापित), फोटो आई0डी0 पत्राचार व स्थाई पता सहित परीक्षा से पूर्व लेखक की स्वीकृति बोर्ड मुख्यालय, विशेष परीक्षा शाखा से लेना अनिवार्य है। जिस व्यक्ति की लेखक के रूप में मांग की गई है, की आयु परीक्षा में प्रविष्ट होने वाले परीक्षार्थी से कम हो एवं शैक्षणिक योग्यता वरिष्ठ माध्यमिक से अधिक न हो। बोर्ड कार्यालय की स्वीकृति के बिना परीक्षार्थी के लेखक को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

हस्ता0
सचिव